पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल के तृतीय सत्र का सत्रावसान किया

लखनऊः 14 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2018 के तृतीय सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि विधान सभा तथा विधान परिषद का वर्तमान सत्र 18 दिसम्बर, 2018 से आहूत किया गया था। विधान परिषद 20 दिसम्बर, 2018 एवं विधान सभा 21 दिसम्बर, 2018 की बैठकों के उपवेशन के पश्चात अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गयी थी।

उल्लेखनीय है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अधीन राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल के सदनों को समय-समय पर सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (17/17)